

भारतीय विधि संस्थान

वार्षिक वित्तीय विवरणी
वित्तीय वर्ष 2019-20

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
गांधी पीस फाउंडेशन केम्पस
221-223, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली-110002

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एवं कं.
सनद लेखाकार,
नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई
पटना और चंडीगढ़

221-223, दीन दयाल मार्ग, नई दिल्ली-11001
दूरभाष : 91-11-23236958-60, 23237772
फैक्स : 91-11-23230831
ई मेल : tvande@rediffmail.com
: tvandeca@gmail.com

अंकेक्षक का स्वतंत्र प्रतिवेदन

शासी परिषद,
भारतीय विधि संस्थान,
भगवान दास रोड,
नई दिल्ली - 110001

हमने भारतीय विधि संस्थान की सलंग्न वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2020 तक का तुलन-पत्र और समाप्ति वर्ष की आय और व्यय विवरणी तथा वित्तीय विवरणियों पर टिप्पण सहित महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियां और अन्य स्पष्टीकारक जानकारी समाविष्ट है।

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, संस्थान का सलंग्न वित्तीय विवरण लेखा-संबंधी नीति और लेखाओं पर टिप्पणों के साथ पठित लागू विधियों के अनुसार अपेक्षित रीति में तथा भारत में साधारणतया स्वीकृत अन्य लेखा-संबंधी सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्ट्यावलोकन के लिए तैयार किया गया है।

राय का आधार

हमने लेखा परीक्षण के मानकों के अनुरूप अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अधीन हमारा अतिरिक्त उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण में अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक का उत्तरदायित्व वाले भाग में वर्णित किया गया है। हम भारत के सनद लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नीति-संहिता के साथ-साथ उन नीति संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार संगठन से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन वित्तीय विवरण के अंकेक्षण के लिए सुसंगत हैं और हमने इन अपेक्षाओं और नीति-संहिता के अनुसार अपने अन्य नीति-संबंधी उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि जो अंकेक्षण साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय विवरण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

संस्थान का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लागू विधियों के अनुसार और ऐसे आंतरिक नियंत्रण, जो प्रबंधन ऐसा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए समर्थ बनाने हेतु आवश्यक होना अवधारित करता है और जो तात्त्विक गलत-विवरण से मुक्त है, चाहे यह कपट या त्रुटि के कारण हो और वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धांतों, जिसमें लेखा संबंधी मानक भी हैं, के अनुसार सही और उचित दृष्टिकोण देता हो, के लिए उत्तरदायी है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन एक चालू समुत्थान के रूप में जारी रहने के लिए सत्ता के सामर्थ्य का अवधारण करने, चालू समुत्थान से संबंधित

उन विषयों को प्रकट करने, जो लागू हों, और चालू समुत्थान द्वारा तब तक लेखा के आधार का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक प्रबंधन का या तो सत्ता का परिसमापन करने का या प्रचालन बंद करने का आशय न हो या ऐसा करने का वास्तविक अनुकूल्य न हो। जिन पर शासन का प्रभार है, उनका सत्ता की वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है।

वित्तीय विवरणों के अंकक्षण के लिए अंकक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में तात्त्विक गलत विवरण से मुक्त है या नहीं, चाहे यह कपट या गलती के कारण हो और अंकक्षक की एक ऐसी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च कोटि का आश्वासन है, किंतु यह एक ऐसी गारंटी नहीं है कि नीति-मानकों के अनुसार किए गए अंकक्षण से सदैव तात्त्विक गलत विवरण का पता लग जाएगा जब यह विद्यमान हो। गलत विवरण कपट या गलती से उद्भूत हो सकता है और इसे तब तात्त्विक समझा जाता है यदि व्यक्तिगत तौर पर या कुल मिलाकर उनसे युक्तियुक्त रूप से प्रयोक्ता के इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक विनिश्चयों को प्रभावित करने की प्रत्याशा की जा सके।

नीति-मानकों के अनुसार अंकक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और संपूर्ण अंकक्षण के दौरान पेशेवर संदेह बना रहता है। हमने-

- * वित्तीय विवरणों में तात्त्विक गलत-विवरण, चाहे यह कपट से हो या गलती से हो, के जोखिमों की पहचान की और निर्धारण किया, उन अंकक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाई और निष्पादन किया जो उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी हैं और अंकक्षण साक्ष्य प्राप्त किए जो हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं। कपट के परिणामस्वरूप कारित तात्त्विक गलत-विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से उच्चतर होता है क्योंकि कपट में सांठ-गांठ, जालसाजी, जानबूझकर लोप, मिथ्या-निरूपण या आंतरिक नियंत्रण अभिभावी होना अंतर्लित हो सकता है।
- * अंकक्षण के सुसंगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ उन अंकक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने के लिए जो परिस्थितियों में समुचित हों अपितु न कि सत्ता के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर राय अभिव्यक्त करने के प्रयोजन के लिए प्राप्त की।
- * प्रयुक्त की गई लेखा-संबंधी नीतियों की समुचितता और लेखा-संबंधी आकलनों की युक्तियुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन किया।
- * हमने अभिशासन का प्रभार रखने वालों के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, अंकक्षण की योजनाबद्ध व्याप्ति और समय के संबंध में और महत्वपूर्ण अंकक्षण निष्कर्षों को, जिनमें ऐसी कोई आंतरिक कमियां भी हैं जिसकी हमारे अंकक्षण के दौरान पहचान की गई, संप्रेषित भी किया।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- क. हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार हमारे अंकक्षण के लिए आवश्यक थे।
- ख. हमारी राय में, संस्थान द्वारा सुसंगत विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार उचित बहियां रखी गई हैं।



- ग. जंहा तक कि हमारे द्वारा की गई इन बहियों, जिसमें हमारे द्वारा दौरा न किए गए आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां/रिपोर्टें भी है, परीक्षा से प्रतीत होता है ।
- घ. इस रिपोर्ट में विचार किया गया तुलन-पत्र और आय-व्यय की विवरणी हमारे द्वारा दौरा न किए गए आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त लेखा बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं।
- ङ हमारी राय में, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण लेखा-संबंधी मानकों के अनुरूप हैं ।

द्वारा ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.
सनद लेखाकार
एफआरएन : 000038एन

हस्ता/-
(अनिल के. ठाकुर)
भागीदार

एम. नं. : 088722
यूडीआईएन -20088722AAAAABI 1480

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 24 दिसम्बर, 2020



भारतीय विधि संस्थान

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

तुलन पत्र 31 मार्च 2020

		अनुसूची	
		31.03.2020 (Rs.)	31.03.2019 (Rs.)
कोष के स्रोत			
पूंजी परिसंपत्ति फंड	1	14,32,153	18,70,826
सामान्य निधि	2	12,12,34,213	12,51,94,323
यूजीसी से अनुदान योजना	3	3,08,66,527	3,47,66,837
विशिष्ट फंड	4	2,10,93,652	1,93,55,690
परियोजना निधि	5	-	5,86,084
वर्तमान देनदारियां	6	1,23,61,845	88,13,522
TOTAL		18,69,88,390	19,05,87,282

निधि के अनुप्रयोग

अचल संपत्तियां	7		
सकल ब्लॉक		11,57,29,063	11,43,85,034
घटाया: संचित मूल्यह्रास		8,62,79,803	8,08,42,871
शुद्ध ब्लॉक		2,94,49,260	3,35,42,163
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस		-	-
निवेश	8	12,51,17,772	12,12,11,308
मौजूदा परिसंपत्तियों, जमा और अग्रिम	9	3,24,21,358	3,58,33,811
TOTAL		18,69,88,390	19,05,87,282

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और नोट्स 22

अनुसूची नंबर 1 के लिए 22 रूपों खातों का अभिन्न अंग

संलग्न तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट के अनुसार
ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर और कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 000038N

हस्ता./- अनिल के ठाकुर साथी, चार्टर्ड एकाउंटेंट	हस्ता./- प्रो मनोज कुमार सिन्हा निदेशक	हस्ता./- श्रीनिवास चन्द्र पृष्ठी डॉ ए के वर्मा रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार	हस्ता./- आशीष बावा मुख्य लेखाकार	हस्ता./-
---	--	---	--	----------

जगह: नई दिल्ली
तारीख: 24 दिसंबर 2020



भारतीय विधि संस्थान

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

आय और व्यय खाता 31 मार्च 2020 को समाप्त

अनुसूची	वर्ष के अंत 31.03.2020 (Rs.)	वर्ष के अंत 31.03.2019 (Rs.)
आय		
सहायता अनुदान	10	3,00,00,000
किराया	11	1,45,02,282
फीस	12	1,74,60,785
परियोजना अनुदान	13	-
व्याज	14	72,44,141
पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों की बिक्री	15	8,14,714
विविध आय	16	6,15,732
पुरानी देनदारियों लिखित बंद		-
आखरी बचा हुआ माल		16,79,023
कुल (1)	7,23,16,677	8,57,63,574
व्यय		
वेतन और भत्ते	17	5,64,84,787
प्रशासनिक व्यय	18	1,27,22,315
जर्नल और प्रकाशन व्यय	19	22,12,842
व्याख्यान, सेमिनार और पाठ्यक्रम व्यय	20	22,90,485
परियोजना व्यय	21	-
अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास	7	10,97,949
आरंभिक स्टॉक		14,68,409
कुल (2)	7,62,76,787	7,89,58,194
वर्ष के लिए अधिशेष / घाटा जनरल फंड में स्थानांतरित(i - ii)	(39,60,110)	68,05,380

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और नोट्स 22

अनुसूची नंबर 1 के लिए 22 रूपों खातों का अभिन्न अंग

संलग्न तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट के अनुसार

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर और कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

FRN: 000038N

हस्ता./-

अनिल के ठाकुर
साथी, चार्टर्ड एकाउंटेंट

हस्ता./-

प्रो मनोज कुमार सिन्हा
निदेशक

हस्ता./-

श्रीनिवास चन्द्र पृथ्वी डॉ ए के वर्मा
रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार

हस्ता./-

आशीष बावा
मुख्य लेखाकार

हस्ता./-

जगह: नई दिल्ली

तारीख: 24 दिसंबर 2020



भारतीय विधि संस्थान

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

प्राप्ति और भुगतान खाता (31 मार्च 2020)

	(Rs.)	31.03.2020 (Rs.)	(Rs.)	31.03.2019 (Rs.)
प्राप्ति				
विधि एवं न्याय मंत्रालय से अनुदान सहायता		3,00,00,000		4,00,00,000
यूजीसी से अनुदान		-		-
किराया		39,01,747		1,35,07,971
फीस		1,38,38,785		1,86,39,786
ब्याज		4,60,670		4,60,927
पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों की बिक्री		8,14,714		3,68,935
विवेध आय		1,28,016		10,42,596
निर्दिष्ट फंड		3,26,204		55,000
वर्तमान देनदारियां		67,25,030		22,08,849
परियोजना अनुदान		2,95,400		17,79,211
निवेश		2,44,95,136		2,05,88,503
मौजूदा परिसंपत्तियां, जमा और अग्रिम		1,61,02,494		28,81,237
प्रारंभिक शेष :				
रोकड़	10,935		13,383	
बैंक में नकदी	1,89,26,515	1,89,37,450	1,00,22,977	1,00,36,360
कुल		11,60,25,646		11,15,69,375
भुगतान				
वेतन और भत्ते		4,09,27,165		4,40,10,432
प्रशासनिक व्यय		1,11,74,193		1,03,68,351
जर्नल और प्रकाशन व्यय		24,82,365		18,05,449
व्याख्यान, सेमिनार और पाठ्यक्रम व्यय		17,99,361		13,56,079
यूजीसी से अनुदान				37,28,946
परियोजना अनुदान		6,40,876		13,96,507
वर्तमान देनदारियां		1,92,15,727		1,76,81,597
अचल संपत्तियां		13,40,554		24,09,810
निवेश		2,00,00,000		30,00,000
मौजूदा परिसंपत्तियां, जमा और अग्रिम		59,26,776		68,74,754
अंतिम शेष :				
रोकड़	9,672		10,935	
बैंक में नकदी	1,25,08,957	1,25,18,629	1,89,26,515	1,89,37,450
कुल		11,60,25,646		11,15,69,375

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर और कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN: 000038N

हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./-
अनिल के ठाकुर प्रो मनोज कुमार सिन्हा श्रीनिवास चन्द्र पृथ्वी डों ए के वर्मा आशीष बावा
साथी, चार्टर्ड अकाउंटेंट निदेशक रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार मुख्य लेखाकार

जगह: नई दिल्ली
तारीख: 24 दिसंबर 2020

	31.03.2019	31.03.2020
अनुसूची 1		
पूँजी संपत्ति फंड		
	(Rs.)	(Rs.)
01.04.2016 की स्थिति के अनुसार शेष	18,70,826	23,78,830
कम: आस्तियों वर्ष के दौरान बंद लिखा	-	-
	18,70,826	23,78,830
कम: संचित मूल्यह्रास को हस्तांतरित	4,38,673	5,08,004
	14,32,153	18,70,826

	31.03.2020	31.03.2019
अनुसूची - 2		
सामान्य निधि		
	(Rs.)	(Rs.)
01.04.2019 की स्थिति के अनुसार शेष	12,51,94,323	11,83,88,943
जोड़ें : यात्रा सहायता कोष से हस्तांतरण		
जोड़ें : आय एवं व्यय खाते से राशि हस्तांतरित	(39,60,110)	68,05,380
	12,12,34,213	12,51,94,323

	31.03.2020	31.03.2019
अनुसूची - 3		
यूजीसी से योजना अनुदान		
	(Rs.)	(Rs.)
01.04.2019 पर शेष	3,47,66,837	4,39,45,515
जोड़ें : अनुदान वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
जोड़ें: आय एवं व्यय खाता हस्तांतरित राशि	-	-
जोड़ें: अप्रयुक्त अनुदान पर ब्याज		
कम: योजना व्यय साल के दौरान किए गए	14,40,331	
- अतिथि संकाय के लिए भुगतान	47,200	
- प्रकाशन के डिजिटलीकरण	1,00,000	
- संगोष्ठी व्यय और बैठक	7,33,802	
- मरम्मत और रखरखाव का खर्च	17,79,661	41,00,994
-अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास (योजना)	39,00,310	50,77,684
	** 3,08,66,527	** 3,47,66,837

**

द्वारा प्रतिनिधित्व:

अचल संपत्ति में शेष (नेट बुक वैल्यू)	2,25,84,324	2,64,84,634
अग्रिम (संदर्भ ले अनुसूची 9 - ई)	84,17,152	84,17,152
शेष राशि उपलब्ध एफडीआर में निवेश / (अतिरिक्त राशि खर्च)	(1,34,949)	(1,34,949)
	3,08,66,527	3,47,66,837

<u>अनुसूची - 4</u>	<u>31.03.2020</u>	<u>31.03.2019</u>
<u>निर्दिष्ट फंड</u>		
	(Rs.)	(Rs.)
आजीवन सदस्यता फंड		
01.04.2019 पर शेष	1,54,21,981	1,39,68,388
जोड़ें : व्याज / लाभांश निधि के निवेश पर	11,26,596	10,22,343
जोड़ें : शुल्क वर्ष के दौरान प्राप्त	3,26,204	4,31,250
कम: वर्ष के दौरान लौटाई राशि	-	-
उप कुल (ए)	1,68,74,781	1,54,21,981
सुलखना देवी फंड		
01.04.2019 पर शेष	5,54,678	5,18,219
जोड़ें : व्याज वर्ष के लिए फंड के निवेश पर	39,273	36,459
कम: सुलखना देवी मेमोरियल व्याख्यान के लिए किए गए व्यय	-	-
उप कुल (बी)	5,93,951	5,54,678
स्वर्ण पदक फंड		
01.04.2019 पर शेष	33,79,031	31,48,830
जोड़ें : व्याज / लाभांश निधि के निवेश पर	-	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	2,45,889	2,30,201
कम: स्वर्ण पदक व्यय वर्ष के दौरान	-	-
उप कुल (सी)	36,24,920	33,79,031
महायोग (ए + बी + सी)	2,10,93,652	1,93,55,690

	<u>31.03.2020</u>	<u>31.03.2019</u>
<u>अनुसूची - 5</u>		
<u>परियोजना धन</u>		
	(Rs.)	(Rs.)
परियोजना - सामाजिक न्याय मंत्रालय	-	75,000
परियोजना - विदेश मंत्रालय	-	5,11,084
	-	5,86,084

<u>अनुसूची - 6</u>	<u>31.03.2020</u>	<u>31.03.2019</u>
<u>चालू दायित्व</u>		
	(Rs.)	(Rs.)
देय व्यय	84,83,642	60,60,533
सुरक्षा जमा	16,44,908	14,97,186
बयाना जमा	1,36,500	1,21,500
अन्य देनदारियां	20,96,795	11,34,303
	1,23,61,845	88,13,522



अनुसूची - 2													
अचल संपत्तियाँ													
विवरण	दर	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध मूल संपत्तियाँ			
		01.04.2019 की स्थिति के अनुसार		वर्ष के दौरान इसके अलावा		31.03.2020 पर कुल		31.03.2019 तक		वर्ष के दौरान		31.03.2020 पर कुल	
		मूल्यहास	अन्य अनुदान / स्वयं के धन	मूल्यहास	अन्य अनुदान / स्वयं के धन	मूल्यहास	अन्य अनुदान / स्वयं के धन	मूल्यहास	अन्य अनुदान / स्वयं के धन	मूल्यहास	अन्य अनुदान / स्वयं के धन	मूल्यहास	अन्य अनुदान / स्वयं के धन
		(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
महत्वाधुन भूमि	10%	-	57,894	-	57,894	-	-	-	-	-	-	57,894	-
	10%	1,80,10,836	55,13,771	1,80,10,836	55,13,771	47,36,763	27,18,106	13,27,407	2,79,567	60,64,170	29,97,673	1,19,46,666	1,32,74,073
	10%	-	5,000	-	5,000	-	3,063	-	194	-	3,257	-	1,937
	15%	91,08,883	25,00,984	91,08,883	25,00,984	52,11,175	16,39,558	5,84,655	1,29,214	57,95,830	17,68,772	33,13,053	8,61,426
	10%	88,97,670	12,01,464	88,97,670	14,56,634	37,42,662	7,42,889	5,15,502	69,325	42,58,164	8,12,214	46,39,506	4,58,575
	15%	5,59,264	14,87,158	5,59,264	19,30,752	4,24,597	11,58,755	20,200	82,531	4,44,797	12,41,286	1,14,467	3,28,403
	40%	1,71,15,959	2,69,49,004	1,71,15,959	2,73,58,269	1,52,14,663	2,53,74,415	7,60,519	7,88,708	1,59,75,182	11,40,777	11,95,146	15,74,589
	40%	90,60,007	74,33,270	90,60,007	76,69,270	75,63,263	74,23,871	5,98,700	50,960	81,61,963	74,74,831	8,98,044	14,96,744
	15%	25,18,428	24,75,678	25,18,428	24,75,678	19,02,162	18,95,693	92,440	86,997	19,94,602	19,82,690	5,23,826	6,16,266
	10%	-	28,518	-	28,518	-	17,471	-	1,105	-	18,576	-	9,943
15%	-	5,15,000	-	5,15,000	-	3,95,718	-	17,892	-	4,13,610	-	1,19,282	
उप कुल (ए)		6,52,71,047	4,81,67,742	-	13,44,029	3,87,95,285	4,13,69,539	38,99,423	15,06,493	4,26,94,708	4,28,76,032	2,25,76,339	66,35,739
निदेशक के आवास पर अचल संपत्तियाँ	15%	-	3,29,890	-	3,29,890	-	2,53,480	-	11,461	-	2,64,941	-	64,949
	10%	22,899	4,53,580	-	22,899	14,027	2,77,854	887	17,573	14,914	2,95,427	7,985	1,58,153
	15%	-	30,765	-	30,765	-	23,639	-	1,069	-	24,708	-	6,057
	60%	-	1,09,111	-	1,09,111	-	1,09,047	-	26	-	1,09,073	-	38
	उप कुल (बी)	22,899	9,23,346	-	22,899	14,027	6,64,020	887	30,129	14,914	6,94,149	7,985	2,29,197
कुल लागत (ए + बी)		6,52,93,946	4,90,91,088	-	13,44,029	3,88,09,312	4,20,33,559	39,00,310	15,36,622	4,27,09,622	4,35,70,181	2,25,84,324	68,64,936
													</

अनुसूची - 8

निवेश

फंड के नाम	अनुसूचित बैंकों के साथ					यूटीआई के साथ		कुल	
	केनरा बैंक (Rs.)	यूको बैंक (Rs.)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (Rs.)	ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (Rs.)	कुल (Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	31.03.2020 (Rs.)	31.03.2019 (Rs.)
(क) जनरल फंड									
फिक्स्ड डिपॉजिट में	-	8,09,87,410	2,20,17,595	-	10,30,05,005	-	-	10,30,05,005	10,05,58,327
(ख) निर्दिष्ट फंड									
□ जीवन सदस्यता फंड	-	1,73,70,211	-	-	1,73,70,211	3,00,300	-	1,76,70,511	1,64,94,366
सुलखना देवी फंड	1,18,386	4,84,063	-	-	6,02,449	-	-	6,02,449	5,63,839
स्वर्ण पदक फंड	-	38,39,807	-	-	38,39,807	-	-	38,39,807	35,94,776
TOTAL	1,18,386	10,26,81,491		-	12,48,17,472	3,00,300		12,51,17,772	12,12,11,308

अनुसूची - 9		31.03.2020	31.03.2019
मौजूदा परिसंपत्तियाँ, जमा और अग्रिम		(Rs.)	(Rs.)
(ए) नकदी और बैंक बैलेंस			
रोकड़		4,300	6,493
डाक अग्रदाय		5,372	4,442
बैंक खातों की शेष:			
यूको बैंक खाता संख्या 9792		19,91,099	5,14,725
यूको बैंक खाता संख्या 257036		74,39,373	1,80,71,484
बैंक बड़ौदा खाता संख्या 13830100006557		30,74,611	3,27,860
केनरा बैंक खाता संख्या 2417101021884		1,000	1,000
यूको बैंक खाता संख्या 88227		2,874	11,445
		1,25,18,629	1,89,37,449
बी) प्रकाशन के समापन स्टॉक		16,79,023	14,68,409
सी) निवेश पर अर्जित ब्याज			
सामान्य निधि		21,24,087	23,26,491
सुलखना देवी फंड		13,985	13,322
आजीवन सदस्यता फंड		4,89,528	5,39,077
स्वर्ण पदक फंड		65,703	64,845
		26,93,303	29,43,735
(डी) प्राप्त राशि			
विधि एवं न्याय मंत्रालय		42,08,034	17,05,603
विदेश मंत्रालय		1,19,635	-
वित्त मंत्रालय		2,57,298	-
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग		1,78,873	-
परियोजना अनुदान प्राप्त		4,07,266	4,99,651
प्राप्त करने योग्य ब्याज		38,965	-
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)		34,965	-
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (GST)		12,920	-
टीडीएस वसूली		11,90,934	11,85,067
स्टाफ से बिजली शुल्क		912	687
कैंटीन ठेकेदार		11,221	22,671
		64,61,023	34,13,679
(ई) जमा और अग्रिम			
सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम			
योजना फंड	84,17,152		84,17,152
गैर-योजना फंड	31,919	84,49,071	31,919
		24,404	84,49,071
कर्मचारियों को अग्रिम			1,500
दूसरों को अग्रिम			
योजना फंड	-		-
गैर-योजना फंड	3,500	3,500	3,500
जमा		60,670	60,670
पूर्वदात व्यय		5,31,735	5,55,798
		90,69,380	90,70,539
भट्ट कुल (ए + बी + सी + डी + ई)		3,24,21,358	3,58,33,811

	वर्ष के अंत 31.03.2020	वर्ष के अंत 31.03.2019
अनुसूची - 10		
सहायक अनुदान		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)

अनुदान सहायता विधि एवं न्याय मंत्रालय से प्राप्त 3,00,00,000 4,00,00,000

	3,00,00,000	4,00,00,000
--	-------------	-------------

अनुसूची - 11		
किराये की आय		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 आधिकारिक भाषा विंग - कानून एवं न्याय मंत्रालय	51,19,320	51,19,320
2 केन्द्रीय एजेंसी - कानून एवं न्याय मंत्रालय	77,52,192	77,52,192
3 कैटीन	1,84,042	1,31,102
4 एनेक्सी और बैठक कमरे	14,46,728	13,15,475
	1,45,02,282	1,43,18,089

अनुसूची - 12		
फीस और सदस्यता		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम	73,18,175	82,80,580
2 एलएलएम कोर्स	32,30,750	32,93,300
3 पीएच.डी. कोर्स	3,61,000	4,37,500
4 प्रवेश प्रक्रिया शुल्क (डिप्लोमा / एलएलएम / पीएचडी)	36,22,000	36,00,000
5 ऑनलाइन आईपीआर कोर्स	8,60,350	11,13,400
6 ऑनलाइन साइबर लॉ कोर्स	17,84,150	14,15,200
7 लाइब्रेरी फीस	74,272	1,10,346
8 भर्ती आवेदन शुल्क	87,041	1,79,460
9 सदस्यता शुल्क - साधारण सदस्य	1,23,047	3,26,875
	1,74,60,785	1,87,56,661

अनुसूची - 13		
परियोजना आय		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 परियोजना - विदेश मंत्रालय	-	11,13,127
2 परियोजना - DCPCR	-	92,385
3 परियोजना - NHRC	-	5,95,979
4 परियोजना - वक्फ बोर्ड	-	80,000
5 परियोजना - CIC	-	5,79,500
	-	24,60,991

	वर्ष के अंत 31.03.2020	वर्ष के अंत 31.03.2019
अनुसूची - 14		
प्राप्त ब्याज		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 जनरल फंड निवेश पर ब्याज	67,44,505	69,15,572
2 बचत बैंक खातों पर ब्याज	4,99,636	4,60,946
	72,44,141	73,76,518

अनुसूची - 15		
जर्नल और अन्य प्रकाशन की बिक्री		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 वार्षिक सर्वेक्षण	1,20,620	1,43,950
2 जर्नल आय	5,42,917	1,48,240
3 प्रकाशन आय	1,51,037	76,285
4 न्यूजलेटर आय	140	460
	8,14,714	3,68,935

अनुसूची - 16		
विविध आय		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 फोटोस्टेट / कंप्यूटर प्रिंटिंग प्रभार	83,869	1,42,759
2 रॉयल्टी	17,924	7,794
3 परियोजना प्रशासन प्रभार	4,86,944	6,97,786
4 डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रभार	12,000	15,800
5 सदस्यता पहचान पत्र कार्ड शुल्क	6,180	5,200
6 पुरानी परियोजनाओं से आय	-	36,000
7 अन्य	8,815	1,08,632
	6,15,732	10,13,971

	वर्ष के अंत 31.03.2020	वर्ष के अंत 31.03.2019
अनुसूची - 17		
वेतन और भत्ते		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 वेतन और भत्ते	4,61,07,221	4,47,21,869
2 भविष्य निधि में अंशदान	45,84,025	43,27,104
3 ग्रेजुएटी व्यय एलआईसी के लिए भुगतान	22,72,197	46,37,212
4 एलआईसी के लिए भुगतान किया नकदीकरण व्यय	10,01,420	26,70,513
5 एलटीसी के साथ नकदीकरण	50,000	1,92,692
6 डीए बकाया	4,62,478	3,16,258
7 एलटीसी / एचटीसी व्यय	77,222	10,26,665
8 ग्रुप मेडिकलेम प्रीमियम	8,37,465	6,48,839
9 चिकित्सा के खर्चे	3,059	-
10 स्टाफ को मानदेय	9,700	60,500
11 बाल शिक्षा भत्ता	10,80,000	11,38,500
	5,64,84,787	5,97,40,152

अनुसूची - 18		
प्रशासनिक व्यय		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 यात्रा और वहन	2,31,746	4,57,490
2 सुरक्षा सुविधाएँ	25,77,718	23,23,015
3 हाउसकीपिंग और आउटसोर्सिंग व्यय	33,33,413	22,76,227
4 बिजली और जल	21,31,001	17,45,775
5 टेलीफोन और फैक्स	1,04,880	1,11,529
6 फोटोस्टेट, मुद्रण और स्टेशनरी	5,79,611	5,75,194
7 डाक और स्टाम्प	1,56,986	2,81,949
8 बीमा	2,97,830	84,518
9 जलपान	1,05,187	1,61,384
10 सांविधिक लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक	60,000	60,000
11 आंतरिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	2,30,000	2,00,000
12 कानूनी और व्यावसायिक खर्च	26,800	37,700
13 सदस्यता शुल्क	86,580	85,580
14 मरम्मत एवं रखरखाव	18,33,684	7,60,454
15 स्टाफ के लिए वर्दी	60,000	60,000
16 स्टाफ कार व्यय	58,771	52,796
17 अखबार प्रतिपूर्ति व्यय	1,62,150	1,73,050
18 टेलीफोन प्रतिपूर्ति व्यय	1,29,036	1,61,393
19 भर्ती व्यय	2,82,428	2,07,989
20 कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	84,179	2,27,362
21 लाइब्रेरी बुक बंधन प्रभार	36,805	29,322
22 विविध	1,53,510	1,45,910
	1,27,22,315	1,02,18,637

	वर्ष के अंत 31.03.2020	वर्ष के अंत 31.03.2019
अनुसूची - 19		
जर्नल / प्रकाशन व्यय		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 पत्रिका खर्च	4,37,422	6,43,957
2 प्रकाशन / वार्षिक सर्वेक्षण / डिजिटलीकरण व्यय	5,41,418	6,80,693
3 न्यूजलेटर व्यय	1,23,153	2,83,599
4 पत्रिकाओं / डेटाबेस की सदस्यता	11,10,849	7,56,593
	22,12,842	23,64,842

अनुसूची - 20		
व्याख्यान , सेमिनार और पाठ्यक्रम व्यय		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 डिप्लोमा कोर्स व्यय	9,64,437	1,84,300
2 पीएच.डी. व्यय	63,000	61,715
3 एलएलएम कोर्स व्यय	5,78,034	1,28,296
4 ऑनलाइन आईपीआर कोर्स	24,000	88,226
5 ऑनलाइन साइबर लॉ कोर्स	24,000	1,10,725
6 संगोष्ठी व्यय और बैठक	5,37,014	6,32,209
7 ग्रीष्मकालीन कोर्स और सम्मेलन	-	4,71,145
8 छात्रवृत्ति	1,00,000	1,50,000
	22,90,485	18,26,616

अनुसूची - 21		
परियोजना व्यय		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 परियोजना - विदेश मंत्रालय	-	11,13,127
2 परियोजना - DCPCR	-	92,385
3 परियोजना - NHRC	-	5,95,979
4 परियोजना - वक्फ बोर्ड	-	80,000
5 परियोजना - CIC	-	5,79,500
	-	24,60,991

भारतीय विधि संस्थान

अनुसूची - 22

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पण

(क) लेखा परिपाटी

- i. ये वित्तीय विवरणियां ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन प्रोदभवमान आधार पर चालू संबंधित धारणा और साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों और लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार की गई हैं ।
- ii. भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप लेखा विवरणियां तैयार करना प्राक्कलनों और धारणाओं को बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है जिससे रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और दायित्व तथा वित्तीय विवरणियों की तारीख को समाश्रित दायित्वों प्रभाव पड़ता है। वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के बीच अंतरों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में परिणाम कार्यान्वित होते हैं ।

(ख) लेखा नीतियां

1. (क) विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदानों से आय का परियोजनाओं के लिए उपगत खर्चों की सीमा तक गणना की जाती है । तथापि, अनुदान की खर्च से बची हुई राशि परियोजनाओं के पूरा होने पर आय के रूप में समायोजित की जाती है जब तक कि खर्च न की हुई राशि प्रत्यर्पणीय न हो जाए । अन्य अनुदान पावती के आधार पर आय के रूप में गणना किए जाते हैं ।
 - (ख) किसी परियोजना के संबंध में अधिक खर्च की गई राशि वसूली योग्य दर्शाई जाती है ।
 - (ग) शुल्क, एनेक्सी किराया और हालों से किराया नकद आधार पर गणना किया जाता है। तथापि, अग्रिम के तौर पर प्राप्त शुल्क भविष्य में समायोजित किए जाने के लिए आगे लिया जाता है।
 - (घ) वर्ष के दौरान पुस्तकालय के लिए क्रय किए गए जर्नल और इस दौरान प्राप्त किए गए साधारण सदस्यता अंशदान नकद आधार पर गणना में लिए जाते हैं ।
 - (ङ) संस्थान के आय और व्यय लेखा के अन्य मद संभूति के आधार पर गणना में लिए जाते हैं ।
 - (च) विनिर्दिष्ट निधियों से संबंधित निवेशों पर ब्याज क्रमिक निधियों में जमा की जाती है ।
 - (छ) उपदान और छुट्टी नकदीकरण नीतियां भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई हैं और वार्षिक अभिदाय सुसंगत वर्ष में खर्च के रूप में गणना में लिए जाते हैं ।
 - (ज) प्राप्त की गई आजीवन सदस्यता शुल्क और साधारण सदस्यता शुल्क और सदस्यता के प्रदान किए जाने के लिए लंबित हैं वह दायित्व समझते जाते हैं ।
2. (क) नियत आस्तियों पर अवमूल्यन का 31 मार्च, 2010 तक उपबंध नहीं किया गया था और वर्ष के दौरान अभिप्राप्त नियत आस्तियों के खर्च पर समान राशि वर्ष के लिए अधिशेष में से समायोजित की गई थी और पूंजी आस्ति फंड में जमा की गई थी । तथापि, कार्यपालक समिति के विनिश्चय के अनुसार वार्षिक अवमूल्यन को आयकर अधिनियम 1961 में विहित दरों के

अनुसार 31 मार्च, 2011 में र्वा की समाप्ति पर संस्थान के नियत आस्तियों पर गणना किया गया था। जैसाकि विनिश्चय किया गया 31 मार्च, 2010 से पूर्व अभिप्राप्त नियत आस्तियों पर वार्षिक अवमूल्यन जो 2,30,74,958/- रुपए राशि थी को पूंजी आस्ति फंड में समायोजित किया जा रहा है और यही प्रक्रिया तब तक अनुसरण की जाएगी जब तक आस्तियों का पूर्ण रूप से अवमूल्यन न हो जाए और पूंजी आस्ति फंड निःशेष हो जाता है।

(ख) एकल अवधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से अभिप्राप्त आस्तियां भी नियत आस्तियों के रूप में पूंजीकृत की गई हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त योजना अनुदान से अभिप्राप्त नियत आस्तियां विश्वविद्यालय अनुदान से योजना अनुदान में समायोजित की गई हैं। (देखिए अनुसूची - 3)

3. पुस्तकालय पुस्तकों और पुस्तकालय में संदर्भ सामग्री के रूप में रखे जाने के लिए आशयित अन्य प्रकाशनों का मूल्य पूंजीकृत किए गए हैं।
4. पुस्तकों और 01 अप्रैल, 2004 के पश्चात् प्रकाशित वार्षिक सर्वेक्षण का मूल्य और र्वा के अंत में बचे अविक्रीत को प्रकाशनों के बंद स्टॉक में सम्मिलित किया गया है।

(ख) लेखाओं संबंधी टिप्पण

1. भारतीय विधि संस्थान आयकर आयुक्त नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा जारी किए गए पत्र सं. जेई-3(34)/62/8250 तारीख 9 जुलाई, 1974 द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
2. संस्थान महानिदेशक आयकर (छूट), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं. फा. सं. डीजीआईटी(ई)/10(23सी)(ज्छ)/2010-11/1579 तारीख 29 मार्च, 2011 द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23सी)(ध्)(ध्छ) के अधीन अनुमोदित है।

इसके अतिरिक्त संस्थान पत्र सं. फा. सं. 203/75/2009/आईटीए- र्छ तारीख 28 जनवरी, 2010 के द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(ते)(त्ते) के अधीन अधिसूचना सं. 5/2010 की मारफत भी अनुमोदित है।

3. र्वा 2001-2002 से 2018-2019 के लिए नई दिल्ली नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के रूप में रु. 4,09,62,027/- के लिए मांग का संस्थान द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रतिवाद किया गया है जिसमें र्वा 2018-19 के लिए रु. 23,13,750/- सम्मिलित है। आय और व्यय लेखा में इस निमित्त कोई प्रावधान नहीं किया गया है इसलिए इसके लिए एक आपातिक दायित्व है।
4. संस्थान ने भारतीय जीवन बीमा निगम से छुट्टी नकदीकरण और समूह उपदान के लिए बीमा पॉलिसी ली है। क्रमिक फंडों के लिए किए गए अभिदाय और/या संदाय के लिए अवधारित राशि खर्च के रूप में गणना में ली गई हैं।
5. संस्थान की किराय आय और सदस्यता सब्सक्रिप्शन पर जीएसटी लागू है और तदनुसार संस्थान ने दिनांक 28 मई, 2019 को जीएसटी के अधीन पंजीकृत किया है। संस्थान ने अपनी किराया संबंधी सेवाओं और सदस्यता सब्सक्रिप्शन पर जुलाई, 2019 से जीएसटी प्रभारित करना आरंभ किया है और तदनुसार संस्थान ने जीएसटी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जीएसटी जमा करना और मासिक आधार पर जीएसटी विवरणी फाइल करना आरंभ किया है।



6. तारीख 31 मार्च, 2020 को 84,17,152/-रुपए की राशि (योजना फंड) और रु. 31,919/- (गैर योजना फंड) संस्थान द्वारा भवन के नवीनीकरण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम के तौर पर दिया गया दर्शित किया गया है ।
7. प्रबंधतंत्र ने अपने वित्त पर पड़ने वाले कोविड-19 के असर का निर्धारण किया है और इसका कोई तात्त्विक असर नहीं है ।
8. पूर्व वा के आंकड़े जहां कहीं आवश्यक हैं पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहीकृत किए गए हैं ।

प्रो० (डा) मनोज कुमार सिन्हा
निदेशक

श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टा
रजिस्ट्रार

डा. ए. के. वर्मा
उप रजिस्ट्रार

आशिष बावा
मुख्य लेखाकार

स्थान - नई दिल्ली

तारीख - 24 सितम्बर, 2020